



विकलांगों के लिए विशेष उपकरण

उद्देश्य -

योजना के अन्तर्गत राज्य में विकलांगों को विभिन्न कृत्रिम यंत्र एवं उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।

कार्य-

योजना के अन्तर्गत विकलांगों को ट्राईसाइकिल, बैशाखी ,श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग तथा अन्य इसी प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

कार्यान्वयन-

इन यंत्रों का क्रय जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के माध्यम से किया जाता है। इसके निमित्त प्रत्येक वर्ष जिलों को उपलब्ध कराई जानेवाली राशि से योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाता है।

चयन की प्रक्रिया -

विकलांगों के लिए विकलांगता का मानक असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है।